

2025/658



अर्जुन राम / खाला
136 CR Act
521/2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर
(पीठासीन अधिकारी) पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

कमांक : राजस्व/2025/483
रा.ज.प.स 521/25

दिनांक : 27/10/2025

-:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी चौडा मू.अभिलेख निरीक्षक बुचकला की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पीपाड़ शहर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम चौडा तहसील पीपाड़ शहर व जिला जोधपुर की जमाबन्दी सर्वे आधार संवत् 2081 में खाता संख्या 181 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि(अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	चौडा	181	अर्जुन पुत्र गोकलराम	अर्जुनराम पुत्र गोकलराम


(नेमा राम)


उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, पीपाड़ शहर

दिनांक :- 27/10/2025

कमांक :-सम/2025/ 484-485

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार पीपाड़ शहर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. हल्का पटवारी चौडा को सूचनार्थ।



उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, पीपाड़ शहर

पीपाड़ शहर